न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, पीलीभीत।

प्रकीर्ण वाद संख्या–149एम/2025

रिजवान खां बनाम अज्ञात।

दिनांक:09.10.2025

पत्रावली अंतर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लंचउपरांत वास्ते आदेशार्थ पुनः पेश हुई।

प्रार्थी/आवेदक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कहा है कि प्रार्थी रिजवान खान पुत्र बाबू खान निवासी 130 फैय्याज बिल्डिंग, कोहाडापीर, बरेली का है एवं UP25CT6153 का पंजीकृत स्वामी है। जिसका चेसिस नम्बर MAT704109J3A01284 एवं इंजन नम्बर ISBE5-92304081 A63655112 है। प्रार्थी की गाडी दिनांक 28.04.2025 प्रार्थी का चालक विपिन कुमार माल की तलाश में शाहजहाँपुर जा रहा था। तभी अचानक से रात्रि करीब 11.30 बजे गाडी बीसलपुर बरेली रोड बिजली पावर हाउस से एक किलोमीटर आगे गाडी गर्म पडने लगी और गाडी का टॅक्प्रेचर हाई होने के कारण गाडी को सडक के किनारे लगाया और चेक किया। चालक द्वारा काफी देर चेक किया परन्तु कुछ समझ नहीं आया। तब चालक मिस्त्री की तालाश में बीसलपुर गया काफी देर मिस्त्री की तालाश करने के बाद जब वहाँ मिस्त्री नहीं मिला तब चालक लगभग दो घंटे बाद जब वापस आया, वापस आकर उसने गाडी देखा कि उसकी गाडी वहां मौजूद नहीं है जहां उसने खडी की थी, काफी देर चालक ने गाडी की तलाश की परन्तु गाडी नहीं मिली। चालक ने प्रार्थी को सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रार्थी अपने परिजन के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और गाडी की तालाश की परन्तु गाडी नहीं मिली। प्रार्थी दिनांक 29.04.2025 को सुबह 10.00 बजे, थाना बीसलपुर गया और लिखित तहरीर दी जो कि थाने द्वारा लेकर रख ली गई और गाडी ढूंढने का आश्वासन दिया और खुद भी गाडी ढूंढने को कहा प्रार्थी के समस्त गाडी के कागजात गाडी में ही मौजूद है। तब प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत को दिनांक 18.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा, उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय द्वारा संबंधित थाने से विस्तृत जांच आख्या आहूत गयी। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 25.07.2025 में पुलिस द्वारा कथन किया गया है कि जांच में पाया गया कि प्रार्थी रिजवान द्वारा वर्ष 2018 में वाहन UP25CT6153 ट्रक फाइनेंस पर खरीदा था। दिनांक 28.04.2025 को माल लादने की तलाश हेतु ट्रक चालक विपिन द्वारा बरेली से शाहजहांपुर के लिये निकला तथा समय करीब 11.30 बजे बीसलपुर से पहले बिजली पावर हाउस निकल कर ट्रक खराब हो गया, जो काफी प्रयास करने पर स्टार्ट नहीं हो पाया तो चालक ने मिस्त्री की तलाश बीसलपुर की, लेकिन करीब डेढ घंटे के बाद मिस्त्री न मिलने पर चालक वापस आया तो वहां ट्रक नहीं मिला तो चालक ने मालिक को टेलीफोन पर बुलाया। मालिक के आने पर इधर उधर तलाश किया, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस को बिना सूचना दिये बरेली चले गये। प्रार्थी द्वारा बाद में थाना पर सूचना देना बताया गया, जिसका थाना स्थानीय पर कोई उल्लेख नहीं पाया गया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वाहन स्वामी द्वारा बिना निश्चित जगह से माल उठाने मात्र माल की तलाश हेतु बरेली से शाहजहांपुर वाहन भेजना, बरेली से सीधे शाहजहांपुर न जाकर वाया बीसलपुर होकर जाना, वाहन खराब होने पर चालक से स्टार्ट न होना, जिसे चोर एक डेढ़ घण्टे बाद ताला तोड़कर स्टार्ट कर चले जाना। वाहन चोरी होने की थाना पर तत्काल सूचना न देना, ट्रक चोरी की घ टना होने को संदेहस्पद बनाता है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाहन ट्रक संख्या UP25CT6153 के दिनांक 28.04.2025 प्रार्थी का चालक विपिन कुमार माल की तलाश में शाहजहाँपुर जा रहा था। तभी अचानक से रात्रि करीब 11.30 बजे गाडी बीसलपुर बरेली रोड बिजली पावर हाउस से एक किलोमीटर आगे वाहन के स्टार्ट न होने पर, चालक मिस्त्री की तालाश में

बीसलपुर गया, वहाँ मिस्त्री नहीं मिला तब चालक लगभग दो घंटे बाद जब वापस आया तो उसकी गाडी वहां मौजूद नहीं है, जहां उसने खडी की थी, काफी देर चालक ने गाडी की तलाश की परन्तु गाडी नहीं मिली। उक्त के संबंध में थाना हाजा से विस्तृत आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रार्थी/आवेदक पुलिस को बिना सूचना दिये बरेली चले गये तथा प्रार्थी द्वारा बाद में थाना पर सूचना देना बताया गया, जिसका थाना स्थानीय पर कोई उल्लेख नहीं पाया गया तथा वाहन स्वामी द्वारा बिना निश्चित जगह से माल उठाने मात्र माल की तलाश हेतु बरेली से शाहजहांपुर वाहन भेजना, बरेली से सीधे शाहजहांपुर न जाकर वाया बीसलपुर होकर जाना, वाहन खराब होने पर चालक से स्टार्ट न होना, जिसे चोर एक डेढ़ घण्टे बाद ताला तोड़कर स्टार्ट कर चले जाना। वाहन चोरी होने की थाना पर तत्काल सूचना न देना, ट्रक चोरी की घटना होने को संदेहस्पद बनाये जाने का कथन किया गया है। प्रार्थना पत्र तथा थाने की आख्या के विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाहन चोरी होने की दिनांक 28.04.2025 समय करीब 11.30 बजे रात्रि दर्शायी गयी है, जबकि थाना हाजा पर दिनांक 29.04.2025 को तहरीर देने का कथन किया गया है, जो की विलम्ब से दी गयी है, परंतु विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किया गया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु लिये गये है, वे संदिग्ध है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार यह प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक रिजवान खां की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।
09.10.2025